राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार(टाइम्स) विभाग

क्रमाक पं. 3(3) प्र.सु./टाइम्स/2013 दिनांक: 9.04.2013

परिपत्र

विभागाध्यक्ष से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों के निरीक्षण,दौरे एवं रात्रि विश्राम के संबंध में मेरे समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.02.2013 व अति0 मुख्य सचिव टाइम्स के पत्र कमांक पं03(4)प्र0सु0/2013 दिनांक 20.03.2013 का अवलोकन करे।

विभागाध्यक्ष से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों के निरीक्षण,दौरे एवं रात्रि विश्राम के संबंध में साफटवेयर टाइम्स पर दिनांक 01.04.2013 से प्रत्येक विभाग के अधिकारियो को निर्धारित प्रपत्र में सूचना अंकित करना अनिवार्य किया गया है।प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी एवं रिसोर्स कार्मिक को साफ्टवेयर सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा उन्हे निर्देश दिये गये थे कि विभाग के अधिकारियो के मापदण्ड सिस्टम पर 25 मार्च 2013 तक अंकित कर दिये जाये परन्तु अभी तक कुछ विभागो द्वारा स्मरण पत्र एवं दूरभाष पर निर्देश देने के बावजूद भी अंकित नहीं किये गये है। यह अपेक्षा की जाती है कि जिन विभागों द्वारा सिस्टम पर मापदण्ड अंकित नहीं किये गये है, मापदण्ड तीन दिवस में अवश्य ही अंकित कर दे। नोडल अधिकारी एवं रिसोर्स कार्मिक को यह भी निर्देश दिये गये थे कि अपने-अपने विभाग में संबंधित अधिकारियो को सिस्टम का प्रशिक्षण देकर सूचनाऐ अंकित करायेगें। यह अपेक्षा की जाती है कि अपने विभाग में अधिकारियो को टाइम्स सिस्टम का प्रशिक्षण दे दिया होगा।

सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग के अधिकारियो के निर्धारित मापदण्ड अनुसार निरीक्षण,दौरे एवं रात्रि विश्राम दिनांक 01.04.2013 से करने के निर्देश दें, तथा प्रत्येक अधिकारी इस मापदण्ड अनुसार कियान्वयन कर सूचना सिस्टम पर तत्काल प्रभाव से अंकित करना निश्चित कर ले। प्रत्येक माह समयावधि तक सूचना अंकित नही होने पर जिन अधिकारी के दौरे एवं रात्रि विश्राम का विवरण उपलब्ध नहीं होगा उन पर राजस्थान सिविल सेवाऐ(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1985 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सभी विभागों में नियुक्त नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि टाइम्स सिस्टम पर मापदण्ड निर्धारित करना तथा प्रत्येक अधिकारी द्वारा निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सूचना सिस्टम पर अंकित कर ली जाये।

(सी.के. मैथ्यू) 9/4/13
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त विभागाध्यक्ष संलग्न सूची के अनुसार
5. राज्य सूचना एव विज्ञान प्रौद्योगिकी अधिकारी, एनआईसी, सचिवालय जयपुर
5. समस्त नोडल अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली

(चन्द्र मोहन मीणा)
अति0 मुख्य सचिव(टाइम्स)

gopal\transport.doc